

2018/00411

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

न्याय आफिस द्वारे 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

चेतराम जालाल खान  
38MP

बनाम ... सरका

किस्म मुकदमा ... दुरुस्ती

मुकदमा नं. 192  
28/4/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/517 दिनांक 28/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वारे-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थीगण के नाम चक 38MP की जमाबन्दी सम्वत् 2017 के खाता नं. 122 में खातेदार <u>चेतराम जालाल खान</u> अंकित है। जिसका नाम <u>चेतराम</u> है। जिसकी <u>चेतराम जालाल खान के खाते</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 28/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 38MP के खाता नं. 122 में दर्ज खातेदार <u>चेतराम जालाल खान</u> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	ख

उप जिला कलक्टर  
रायसिंहनगर 8  
कैम्प कोर्ट ... 9/7/18  
उपसहायक जज